SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में साइबर क्राइम के प्रभाव का अध्ययन

आशा गुप्ता, शोधार्थी, **वन्दना ठाकुर,** पी.–एचडी., पर्यवेक्षक, शिक्षा विभाग
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, वाटिका, जयपुर, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
आशा गुप्ता, शोधार्थी
वन्दना ठाकुर, पी.–एचडी.,
E-mail : ashagupta121977@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 04/06/2025
Revised on : 05/08/2025
Accepted on : 14/08/2025
Overall Similarity : 00% on 06/08/2025

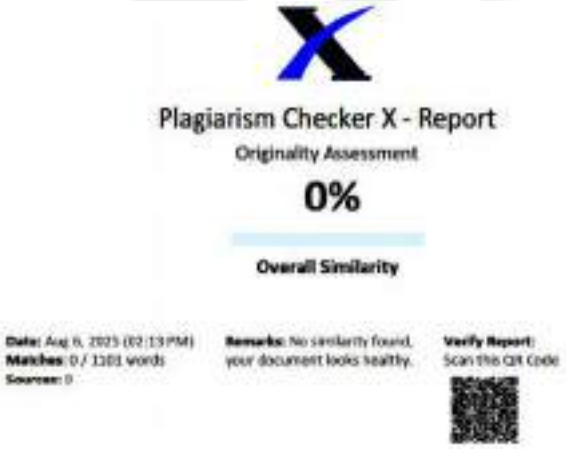

शोध सार

शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो नई चीजों को जानने एवं करने में सक्षम हो। यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है, यह मनुष्य को विस्तृत ज्ञान के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। वैश्वीकरण ज्ञान विस्फोट, संचार क्रांति और सोशल मीडिया का लगातार प्रचलन से हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, इसी के परिणाम यह रहा है कि डिजिटली रूप में साइबर असुरक्षा की भावना बलवती होती जा रही है। लोगों में डर बना हुआ है कि वर्षों की गाढ़ी पूंजी पल भर में खो ना जाए। इसके लिए शिक्षा के द्वारा जागरूकता पैदा कर इस समस्या से निदान दिलाया जा सकता है।

मुख्य शब्द

साइबर, क्राइम, विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रभाव.

प्रस्तावना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित दुनिया में शिक्षा ही है जो लोगों को समृद्ध कल्याण और सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे भी वर्तमान समाज में क्रांति ला दी है। आज की शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विश्व के सभी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को 21वीं सदी में आवश्यक ज्ञान और कौशल सीखने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को आवश्यक मानती है। ज्ञान के प्रसार के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। आज बड़े पैमाने है पर डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी की इंटरनेट और ई–शिक्षा का प्रयोग बहुतायात में हो रहा है। ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन की सस्ती उपयोगिता के बाद लगभग हर किसी की

पहुँच साइबर स्पेस तक हो गई है जो दुनिया भर में करोड़ों ऑनलाईन उपयोगकर्ता को जोड़ता है। आज हमारे द्वारा डिजिटल जीवन के प्रबंधन में मामूली चूक व लापरवाही साईबर अपराधियों के लिए दरवाजे खोल सकती है, और इससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और हमारे AI तकनीकी से आपको नजर बंद करके आपके साथ साइबर फ्रॉड किया जा सकता है। मोबाइल फोन आदि पर अधिक निर्भरता मानव समाज को खतरे में डाल दिया है।

साइबर क्राइम

इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का प्रयोग कर इस प्रकार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम एक वैश्विक परिघटना है यह देश या काल की सीमा से बंधे नही होता है, बल्कि बहुत व्यापक होते हैं अर्थात् जब प्रौद्योगिकी के ज्ञान का प्रयोग किसी अपराध को करने में किया जाता है तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है।

साइबर क्राइम के प्रकार

- **हैकिंग:** किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम में उसके अनुमति के बिना घुसपैठ करना। डाटा चोरी करके उसका दुरुपयोग करना।
- **फिशिंग:** नकली ईमेल वेबसाइट या संदेशों के माध्यम से उपयोगकर्ता से उसकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड बैंक डिटेल्स प्राप्त करना।
- **साइबर स्टॉकिंग:** किसी व्यक्ति को बार–बार ईमेल मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करना या डराना।
- **मेल वेयर हमला:** वायरस वर्म स्पाई वेयर आदि के जरिए कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाना आदि शामिल है।
- **इंटरनेट फ्रॉड:** ऑनलाइन खरीदारी जॉब या गलत वेबसाइट के जरिए लोगों को आर्थिक हानि पहुंचना।
- **साइबर आतंकवाद:** इंटरनेट का उपयोग कर सरकारी सैन्य या सार्वजनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाना यह धमकी देना।
- **सोशल मीडिया क्राइम:** फर्जी प्रोफाइल बनाना फोटो या वीडियो मार्फिंग कॉलिंग अफवाह फैलाना आदि।

समान्यतः कई प्रकार के साइबर क्राइम प्रचलित है परंतु मुख्य रूप से साइबर क्राइम को निम्न चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं:

1. पहले व्यक्तियों के विरोध कानून।
2. संपत्ति के खिलाफ क्राइम।
3. संगठन के खिलाफ क्राइम।
4. समाज के विरुद्ध क्राइम।

साइबर क्राइम और इसकी मुख्य विशेषताएं

आज के इस युग में साइबर क्राइम एक नया शब्द है यह अन्य क्राइम से भिन्न है यह दुनिया में तकनीकी के विकास का परिणाम है इसके मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. पीड़ितो में जागरूकता की कमी।
2. भौतिक उपस्थितियों की आवश्यकता नहीं।
3. जांच निकायों में हाईटेक संसाधनों का अभाव।
4. हिंसा शामिल नहीं।
5. कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं।
6. प्रमाणिक प्रमाणों का आभाव।
7. व्यापक प्रभाव।

साइबर क्राइम के कारक

जागरूकता | अशिक्षा | बेरोजगारी | फ्री वाई–फाई | पहचान में कठिनाई

साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासः

1. सूचना सुरक्षा और जागरूकता परियोजना की शुरुआत।
2. साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए और प्रभावित तरीके से लागू करने के लिए इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक हैः
   1. नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट।
   2. नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल।
   3. संयुक्त साइबर जांच के लिए दल।
   4. राष्ट्रीय साइबर क्राइम फॉरेन्सिक प्रयोगशाला।
   6. राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र।
   6. साइबर क्राइम इकोसिस्टममैनेजमेंट यूनिट।
   7. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र।

- साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एक रेडियो अभियान चलाया जा रहा है।
- जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ट्विटर हैंडल हेडर लॉन्च किया जा रहा है।
- विभिन्न राज्यों में साइबर सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
- टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि 6 से 12 कक्षा तक पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा विषय को शामिल करे। जनवरी 2022 में साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता का क्या करें क्या ना करें और मैनुअल जारी किया गया।

निष्कर्ष

सूचना साझा करने तथा साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त प्रयासों को मजबूत कर वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है क्योंकि अधिकांश साइबर हमले सीमाओं के पार से होते है और हम सब भी छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक को जागरूक कर इस अपराध से अपना बचाव कर सकते है।

सुझाव

- इंटरनेट उपयोगिता अपने कंप्यूटर में फायरवाल का उपयोग करना चाहिए।
- जन–जन को सचेत करने के लिए स्कूल या कॉलेज स्तर को जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। छोटे शहरों में साइबर सेल को मजबूत करना चाहिए।
- अपराधियों के लिए दंड को कठोरता से लागू करना चाहिए।
- साइबर क्राइम को शिक्षा के सभी स्तरो पर पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
- विद्यालय में निडर और उन्नत वातावरण होना चाहिए।
- शिक्षक को विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधनों के सही उपयोग की जानकारी देना चाहिए।
- शिक्षकों को छात्रों को इंटरनेट के लाभ व हानि दोनों अवगत कराना चाहिए।
- अपने बच्चों के फेसबुक व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के गतिविधियों पर ध्यान दें।
- बच्चों को बिना अनुमति के गूगल ब्राउजर करने के अनुमति न दे।
- अपने अकाउंट से संबंधित पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ सांझा न करें।

संदर्भ सूची

1. जयशंकर के. (2007) साइबर क्रिमिनोलॉजी एवॉल्विंग ए नोवल डिसिप्लिन विद ए न्यू जर्नल, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइबर क्रिमिनोलॉजी,* वॉल्यूम 1(1), पृ. 1–6।
2. मित्तल, संतोष (2008) *शैक्षिक तकनीकी एवं कक्षा – कक्ष प्रबन्ध,* हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, राजस्थान।
3. साइबर अपराध पोर्टल (2025) गृहमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. ठाकुर, अमिताभ एवं जैदी, मो. हसन (2014) *साइबर क्राइम,* एलिया एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 2231।

****